

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायजू..... मुकाम.....

ला.लाराम बनाम प्रहलादराम वृंदा

किस्म मुकदमा रा. अवेदत 11, 128 R.R. नं. 11/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04/02/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री जगदीश गोदार</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.R. राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/02/22 को पेश हो।</p> <p>28/02/2022</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी</p> <p>उपरोक्त नोटिस तामिल शुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रार्थी/विप्राधीगण वाकजुड तामिल अनुसंधान/न्यायालय समक्ष लेन वार भावाज लगाई गई, मिनितम भावाज 5:45PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उचरडी कोर्ट से कोई मद्रिक्कल या मद्रिभावड कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडतरका डार्फवारी ममल में लाई जाली है। अतः वादते वरत पत्रावली दिनांक 23/03/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर बायजू</p>

सहायक कलक्टर (SDO) बायजू


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) बायदु

राजस्थान  
न्यायालय उपखण्ड  
151  
मक/माद/2022/  
प्रार्थी  
लालाराम पुत्र उन्गराम  
जाति जाट निवासी  
मन्वार मण्डल  
तहसील

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 151  
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 23/3/2022  
विप्रार्थीगण

1. लालाराम पुत्र उमाराम,  
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. प्रहलादराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 04,  
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 41/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - बेरी नाडी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 508/31 रकबा 2.9542 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2022/ 152-156

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लालाराम पुत्र उमाराम,
4. विप्रार्थी श्री प्रहलादराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 04
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

3  
सहायक कमिश्नर  
(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 23/03/2022

3  
सहायक कमिश्नर  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(S.D.O) बायतु